




राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
स्वास्थ्य मवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।  
फोन नं० 0141-2221812,  
ई-मेल :- pcpndt-rj@nic.in



क्रमांक: राज्य पी. प्रकोष्ठ/एल0ए0/GOI/2021/317

दिनांक : 11-06-2021

समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।  
समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं  
जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।  
(जरीये जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी, राजस्थान)।

विषय:-भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने  
बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार से प्राप्त गजट अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 पत्र के साथ संलग्न  
प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(संलग्न:-उपरोक्तानुसार।)

विशिष्ट शासन सचिव,  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त सयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान को पालनार्थ।
- 4.
5. सर्वर रूम।
6. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227180  
CG-DL-E-25052021-227180

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943

No. 279]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 345(अ).—केन्द्रीय सरकार गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में निम्न संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्,

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996, में नियम 5 में, उप नियम (2) में, "संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी का मुख्यालय" शब्दों के बाद "या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. वी. 11011/02/2021-पीएनडीटी]

प्रीती पंत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा. का. नि. 1(अ) दिनांक 1 जनवरी, 1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया था:

1. सा.नि.का. 109 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2003;

2. सा.नि.का. 426 (अ), दिनांक 31 मई, 2011;

3. सा.नि.का. 80 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2012;
4. सा.नि.का. 418 (अ), दिनांक 4 जून, 2012;
5. सा.नि.का. 13 (अ) और 14 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2014;
6. सा.नि.का. 77 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2014;
7. सा.नि.का. 119 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2014;
8. सा.नि.का. 60 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2015;
9. सा.नि.का. 492 (अ), दिनांक 22 मई, 2017 और
10. सा.नि.का. 599 (अ), दिनांक 19 जून, 2017

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

**G.S.R. 345(E).**—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :-

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, in rule 5, in sub-rule (2), after the words "the headquarters of the Appropriate Authority concerned", the words, "or by electronic mode" shall be inserted.

[F. No. V.11011/02/2021-PNDT]

PREETI PANT, Jt. Secy.

**Note :** The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1996 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 109 (E), dated the 14<sup>th</sup> February, 2003;
2. G.S.R. 426 (E), dated the 31<sup>st</sup> May, 2011;
3. G.S.R. 80 (E), dated the 7<sup>th</sup> February, 2012;
4. G.S.R. 418 (E), dated the 4<sup>th</sup> June, 2012;
5. G.S.R. 13(E) and 14(E), dated 9<sup>th</sup> January 2014;
6. G.S.R. 77 (E), dated 31<sup>st</sup> January 2014;
7. G.S.R. No. 119(E), dated 24<sup>th</sup> February, 2014;
8. G.S.R. No. 60 (E), dated 28<sup>th</sup> January, 2015;
9. G.S.R. No. 492 (E), dated 22<sup>nd</sup> May, 2017 and
10. G.S.R. 599 (E), dated 19<sup>th</sup> June 2017.